

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03/03/20	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत पेश किया है कि प्रार्थी का नाम सूरजाराम व श्योजीराम के स्थान पर शिवराम शुद्ध किया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज राजिस्टर किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी वृन्दावनपुरा डर्फ रूपवास खाता संख्या 35, बाढराजपुरा की खाता संख्या - 15, राघोपुरा के खाता सं. 27 एवं खेडा जगन्नाथपुरा पुरा की खाता संख्या 5 से 8 एवं राशन कार्ड आधार कार्ड, पेनकार्ड तथा स्वयं का शपथपत्र पेश किया गया निम्ने आधार पर प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र महादेव मीना अंकित है व ग्राम राघवपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 27 में भी प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र महादेव अंकित है, किन्तु ग्राम बाढराजपुरा के खाता संख्या - 15 में श्योजीराम व खेडा जगन्नाथ पुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 5 से 8 में एवं वृन्दावनपुरा डर्फ रूपवास की जमाबन्दी में सूरजाराम पुत्र महादेव अंकित है, जो गलत अंकित है, जिसे खाता संख्या 27 ग्राम राघोपुरा में अंकित शिवराम पुत्र महादेव के अनुसार पुनरुक्त करवाना चाहता है। जो प्रार्थना पत्र द्वारा 136 के प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबन्दी ग्राम राघोपुरा के खाता संख्या 27 एवं स्वयं प्रार्थी के</p>	

पानी आहवाला

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर बाढ़ राजपुरा खाता संख्या 15 में श्योजी पुत्र महादेव व श्वेडाजगन्नाथ की जमाबन्दी के खाता संख्या, 5, 6, 7, 8 एवं ग्राम वृन्दावनपुरा उर्फ रूपवास के खाता संख्या 35 में अंकित शूजाशम पुत्र महादेव के ह्यान पर शिवशम उर्फ श्योजीराम & शूजाशम पुत्र महादेव शुद्ध किया जाता है व इसी प्रकार अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे। निर्णय अनुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद प्रकृमिल कारिखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

